पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांक 32313 दिनांक: 12/06/2025

विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 को विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 12:15 बजे आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें:–

1.	प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार राय	कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	संकायाध्यक्ष, कला संकाय	सदस्य
3.	डॉ. मंजु लाडला,	संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
4.	डॉ. रणवीर सिंह	संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय	सदस्य
5.	डॉ. भंवर लाल रैगर	संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय	सदस्य
6.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	डॉ. नगेन्द्र नाथावत	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8.	प्रोफेसर देवी शंकर शर्मा	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9.	डॉ. सुरेद्र डी सोनी	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	श्रीमती श्वेता यादव (RAS)	कुलसचिव	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि डॉ. अमरदीप चौहान, शिक्षा ग्रुप–4, प्रोफेसर अभिलाषा आल्हा, माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि एवं डॉ. राकेश कुमार, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय बैठक में ऑनलाइन उपस्थित हुए।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने नवआगन्तुक सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन तथा सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत मदों (एजेण्डा) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

1. **एजेण्डा संख्या–1:–** विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 12.06.2024 के कार्यवृत के अनुमोदन का प्रस्ताव।

   निर्णय:– विद्या परिषद में राज्य सरकार/माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नये सदस्यों का मनोनयन होने एवं एक नवीन संकायाध्यक्ष बनाये जाने के पश्चात् यह पहली बैठक आयोजित हो रही हैं। अतः परिषद के नये सदस्यों डॉ. सुरेन्द्र डी सोनी व डॉ. देवीशंकर शर्मा ने विद्या परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 में विभिन्न एजेण्डों के संबंध में विस्तृत जानकारी चाही है ताकि उनका अनुमोदन किया जा सके। अतः माननीय सदस्यों के पास विद्या परिषद की 21वीं बैठक का विस्तृत विवरण मय दस्तावेज भेजे जाने का निर्णय हुआ तदानुसार विद्या परिषद की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय हुआ।

   सदस्यों के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि बैठकों के कार्यवृत्त एवं पालना रिपोर्ट को तथा NEP-2020 लागू होने के पश्चात् के परीक्षा से संबंधित निर्णयों को एक साथ बुक फोर्म के रूप में संरक्षित किया जाये।

2. **एजेण्डा संख्या–2:**–विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 11.03.2025 के कार्यवृत के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः– विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 11.03.2025 के कार्यवृत (Minutes) की पुष्टि की गई।

3. **एजेण्डा संख्या–3:**– विद्या परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 12.06.2024 में लिये गये निर्णयों की पालना प्रतिवेदन (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः– विद्या परिषद के नवीन सदस्यों डॉ. सुरेन्द्र डी सोनी व डॉ. देवीशंकर शर्मा के द्वारा 21वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी चाही है ताकि उसका अनुमोदन किया जा सके। अतः माननीय सदस्यों के पास विद्या परिषद की 21वीं बैठक के निर्णयों की पालना रिपोर्ट का विस्तृत विवरण मय दस्तावेज भेजे जाने का निर्णय हुआ तदानुसार विद्या परिषद की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय हुआ।

4. **एजेण्डा संख्या–4:**– विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 11.03.2025 में लिये गये निर्णय की पालना प्रतिवेदन (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः– विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 11.03.2025 में लिये गये निर्णय की पालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन किया गया।

5. **एजेण्डा संख्या–5:**– संबंधित अध्ययन मण्डलों द्वारा सत्र 2025–26 के लिए प्रस्तुत कोर्स संरचना/पाठ्यचर्या के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णयः– माननीय सदस्यों ने सत्र 2025–26 में लागू होने वाले सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार होने की जानकारी चाही। कुछ पाठ्यक्रम तैयार होने की प्रक्रिया में है अतः माननीय सदस्य डॉ. देवीशंकर शर्मा व डॉ. सुरेन्द्र डी सोनी ने समस्त पाठ्यक्रम तैयार होने के पश्चात्, परिषद के सभी सदस्यों को अवलोकन हेतु भिजवाये जाने तथा तत्पश्चात् प्रकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का विचार रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

पाठ्यक्रम निर्माण में देरी के संबंध में माननीय सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर पाठ्यक्रम तैयार नहीं करने वाले विषयों के अध्ययन मंडल के सदस्यों को यथासमय कार्य करने हेतु पाबंद किया जावे और यदि सदस्य इच्छुक नही हो तो अन्य सदस्य मनोनीत कर कार्य समय पर पूर्ण करवाया जावे। आगामी सत्रों में पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय वर्कशॉप आयोजित करवाकर या सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार कोई अन्य विधा से सितम्बर–अक्टूबर माह में ही प्रारंभ कर दिया जावे।

6. **एजेण्डा संख्या–6:**– विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, विद्यार्थियों के अवलोकन के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखे जाने/उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव।

निर्णयः– सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर यह सुझाव दिया गया कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेकर इसका एक आदर्श विडियों बनाकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें जिससे अन्य विद्यार्थी भी प्रेरित हो सके।

7. **एजेण्डा संख्या–7:**– NEP-2020 के तहत संचालित केवल मेजर पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता अनिवार्य करने का प्रस्ताव।

निर्णयः– वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर NEP-2020 के अन्तर्गत संचालित केवल मेजर पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता महाविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लिये जाने का अनुमोदन किया गया।

8. **एजेण्डा संख्या–8:**– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित M.Sc Maths एवं LLM पाठ्यक्रम में 1–1 अतिरिक्त विद्यार्थी के प्रवेश को नियमित (Regularized) करने का प्रस्ताव।

निर्णयः– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित M.Sc Maths एवं LLM पाठ्यक्रम में 1–1 अतिरिक्त विद्यार्थी के प्रवेश को नियमित (Regularized) करने का अनुमोदन किया जाता है लेकिन इसे प्रैक्टिस नहीं बनने दिया जाये। डॉ. देवीशंकर शर्मा द्वारा दिये गये सुझाव की अधिप्रवेशित विद्यार्थियों को शुल्क लौटाये जाने के प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए, किया जाता है।

9. **एजेण्डा संख्या–9:–** विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों को शोध केन्द्र अनुमोदित करने का प्रस्ताव।

निर्णय– विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों को शोध केन्द्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

10. **एजेण्डा संख्या–10:–** विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं ई–संसाधन केन्द्र की स्थापना संबंधी सूचना सदन के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं ई–संसाधन केन्द्र की स्थापना संबंधी विश्वविद्यालय के निर्णय से सूचित हुए।

11. **एजेण्डा संख्या–11:–** विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेड़ियो का शुभारंभ किया गया है जो कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में प्रथम सफल प्रयास हुआ है की सूचना सदन के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेड़ियो का शुभारंभ किया गया है जो कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में प्रथम सफल प्रयास हुआ है की सूचना के निर्णय से सूचित हुए।

12. **एजेण्डा संख्या–12:–**विश्वविद्यालय परिसर में आगामी एवं 2025–26 से विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा:–

1. M.Sc Forensic Sciences
2. PG Diploma in Digital Forensic
3. PG Diploma in Artificial Inteligence and Machine Learning
4. PG Diploma in Cyber Security and Cyber Law
5. UG Degree in Law (3 Years)
6. UG Degree in Law (5Years) Integrated (BA-LLB, B.Sc-LLBM B.Com-LLB)
7. Master of Social Work (MSW)
8. BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Comunication)
9. Bachelor in Design (B.Des.)
10. BBA
11. BCA

के लिए मूलभूत संसाधनों को तैयार किया जाना एवं पाठ्यक्रमों का संचालन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– बैठक में सम्मिलित सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक उन्नयन के लिए विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् इस संबंध में संकायाध्यक्षों की बैठक में हुए निर्णयानुसार सत्र 2025–26 से परिसर में निम्न पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया:–

1. M.Sc Forensic Sciences-40 Seat (20 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
2. PG Diploma in Digital Forensic-40 Seat (20 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
3. PG Diploma in Artificial Inteligence and Machine Learning-40 Seat (20 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
4. PG Diploma in Cyber Security and Cyber Law-40 Seat (20 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
5. UG Degree in Law (5 Years) Integrated (BA-LLB, B.Sc-LLBM, B.Com-LLB)- बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात् इसके निर्देशानुसार संचालित किया जावें।
6. BJMC-60 Seat (40 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
7. BBA-60 Seat (40 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
8. BCA-60 Seat (40 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)
9. Diploma in Design-40 Seat (20 सीट से कम पर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जावें)

13. **एजेण्डा संख्या–13:–** प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन (हाइब्रिड मोड) मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– माननीय सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय किया कि इस संबंध में एक विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करें तत्पश्चात विचार–विमर्श के बाद इस पर निर्णय किया जाना प्रस्तावित है।

14. **एजेण्डा संख्या–14:–** विश्वविद्यालय में पूर्व में स्थापित विशेष केन्द्र:–

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र
3. खादी एवं हस्तशिल्प उद्यमिता केन्द्र

4. प्रतिभा पोषण केन्द्र
5. विश्वविद्यालय संसाधन केन्द्र

केन्द्रों के प्रभावी संचालन हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय फाउंडेशन की स्थापना इन केन्द्रों की गतिविधि के संचालन के लिए एक समझौता पत्र Aaramo Private Limited (Mr. Professioonal) एजेन्सी से निःशुल्क (Free of Cost) विधिमान्य ढ़ग से किया गया की सूचना सदन के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः– विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने निर्णय का स्वागत किया। सूचना से सूचित हुए।

15. **एजेण्डा संख्या–15:–** प्रतिभा पोषण केन्द्र (Incupation Centre) से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाने तथा बेरोजगार युवाओं, महिलाओं इत्यादि को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर उद्यमिता के लिए प्रेरित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें उक्त संबंध में कार्य करवाना एवं तदानुसार उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध तथा स्वावलम्बी बनाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– समस्त सदस्यों ने विश्वविद्यालय के इस नवाचार पर विचार–विमर्श कर उक्त कार्य को करवाने का निर्णय किया।

16. **एजेण्डा संख्या–16:–** भारतीय ज्ञान परम्परा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा मूल्य परक एवं कौशल विकास परक पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन करवाने की योजना जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र के अंतर्गत प्रकाशित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– समस्त सदस्यों ने भारतीय ज्ञान परम्परा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा मूल्य परक एवं कौशल विकास परक पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन करवाने की योजना जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केन्द्र के अंतर्गत प्रकाशित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया।

17. **एजेण्डा संख्या–17:–** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई प्रकरण।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार एवं निर्णय–

I. स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत सेमेस्टर I, III एवं V के विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रमोट करने का विकल्प है जबकि सेमेस्टर II, IV एवं VI में उनके पूर्व सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार परिणाम जारी करने का प्रावधान है परन्तु वर्ष 2024 के I एवं II सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया गया है जिसका अनुमोदन किया जाना है।

निर्णयः– वर्ष 2024 के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट किये गये परीक्षा परिणाम के निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।

II. विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 में NEP को आंशिक रूप से लागू किया गया था तथा जुलाई 2024 से इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। वर्ष 2023 में प्रवेशित हुए सेमेस्टर I एवं II के विद्यार्थियों की अंक तालिका, जुलाई 2024 से प्रवेशित हुए विद्यार्थियों के समरूप बनाने हेतु उन विद्यार्थियों को कुछ क्रेडित सेमेस्टर III एवं IV का निर्णय पूर्व में किया जा चुका हैं। इन प्रश्न पत्रों के क्रेडिट विद्यार्थियों के सेमेस्टर III और IV की अंकतालिका में दर्शाये जाने पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः– वर्ष 2023 में सेमेस्टर सिस्टम में प्रवेशित हुए विद्यार्थियों के क्रेडिट को वर्ष 2024 के सेमेस्टर सिस्टम के विद्यार्थियों के क्रेडिट के समरूप लाने हेतु वर्ष 2023 के विद्यार्थियों को सेमेस्टर तृतीय व चतुर्थ के साथ प्राप्त (Earn) किये गये क्रेडिट का उल्लेख क्रमशः सेमेस्टर तृतीय व चतुर्थ की अंकतालिका में दर्शाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया गया।

III. सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत पुर्नमूल्यांकन व्यवस्था वार्षिक पद्धति के अनुसार ही 50% रखे जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली के अन्तर्गत विद्यार्थी को पुर्नमूल्यांकन व्यवस्था में कुल प्रश्नपत्रों के 50 प्रतिशत प्रश्न पत्रों के पुर्नमूल्यांकन करवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

2. स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि (वार्षिक पद्धति के अंतर्गत) प्राप्त करने हेतु अधिकतम अवधि निर्धारित की हुई है। इस अवधि में विशेष परिस्थिति होने के कारण एक वर्ष की रियायत दिये जाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– स्नातक/स्नातकोतर उपाधि (वार्षिक पद्धति के अंतर्गत) प्राप्त करने के पात्र ऐसे परीक्षार्थी जिनका इस वर्ष अधिकतम अवधि के अनुसार अंतिम वर्ष था परंतु विशेष परिस्थितिवश (भारत–पाक तनाव के कारण सैनिकों की छुट्टियां रद्द होने/वार्षिक पद्धति समाप्त होने) अपनी उपाधि पूर्ण नही कर पा रहे है। उन विद्यार्थियों को अपनी उपाधि प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

3. कौशल आधारित एवं रोजगार परक पाठ्यक्रमों मे प्रमाण पत्र (छः माही), डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

I. विश्वविद्यालय परिसर में पराविज्ञान (Metaphysics) का एक वर्षीय डिप्लोमा का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार एवं निर्णय (भारत की तपोभूमि पर महान ऋषियों एवं संतों के द्वारा अर्जित ज्ञान पराविज्ञान को लुप्त होने से बचाने एवं आमजन मानस एवं विद्यार्थियों को इस संबंध में लिपिबद्ध करवाना)

II. अन्य पाठ्यक्रम–

1. Diploma in Accounting & Taxation skills (1 Year)
2. Diploma in Heritage Tour Guiding (1 Year)
3. Diploma in Travel and Tour Management (1 Year)
4. Jyotish & Astrology Certificate Course (1 Year)
5. Export And Import Management (1 Year)
6. International Business Skill (1 Year)
7. Global Operations, Strategy, and Skills (1 Year)
8. Hair Styling and Salon Management Curriculum (1 Year)
9. Makeup Artist Course (1 Year)
10. Vermitechnology and Solid Waste Management (6 Months)
11. Art and Craft (6 Months)
12. Textile and Stitching (6 Months)
13. Beautician & Makeup Artist (6 Months)
14. Vermitechnology and Solid Waste Management (1 Year)
15. Art and Craft (1 Year)
16. Textile and Stitching (1 Year)
17. Beautician & Makeup Artist (1 Year)

निर्णयः– बिन्दु संख्या 3 के I व II में वर्णित पाठ्यक्रमों के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई तथा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु एक समिति गठित कर प्रक्रिया पूर्ण कर विद्या परिषद की अगली बैठक में प्रकरण को रखा जाने का निर्णय हुआ। तदानुसार विचार–विमर्श के पश्चात् निर्णय किया जाये।

माननीय सदस्य डॉ. सुरेन्द्र डी सोनी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इन कोर्सेज के संबंध में विश्वविद्यालय से विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, जयपुर में दो प्रतिनिधि भेजकर उक्त कोर्सेज संबंधी संपूर्ण जानकारी/विधिक प्रावधानों का अवलोकन कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करवाये जा सकते है।

4. माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विद्या परिषद सदस्य डॉ. रणवीर सिंह ने निम्न प्रस्ताव रखेः–

I. विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से नियमानुसार न्यूनतम आवश्यक भूमि उपलब्ध है। परंतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास सरकारी भूमि अवस्थिति है जिस पर लोग अतिक्रमण कर रहे है। यदि यह भूमि विश्वविद्यालय को आवंटित करवायी जाये तो न केवल भूमि का सदुपयोग होगा बल्कि विश्वविद्यालय का भविष्य में विस्तार भी सुगम होगा। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में एक समिति का गठन कर राजनीतिक या प्रशासनिक सहयोग लेकर विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित करवाये जाने हेतु प्रयास किये जाये।

निर्णयः– समस्त माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान करते हुए आगामी कार्यवाही करवाये जाने का निर्णय लिया।

II. विभिन्न परीक्षाओं में शामिल विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका जांच करने के लिए समयावधि तीन मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किये जावें एवं परीक्षक को प्रतिदिन 80 उत्तरपुस्तिकाओं की जगह 50 उत्तरपुस्तिकाएं ही मूल्यांकन हेतु आवंटित की जाये।

निर्णयः– माननीय सदस्य डॉ. देवीशंकर शर्मा ने इस संबंध में यह सुझाव दिया कि परीक्षा संबंधी उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के माध्यम से पारित कर विद्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाये।

III. Multidisciplanry courses के अन्तर्गत Elementary Computer application प्रश्न पत्र में नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंको के आनुपातिक आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा के अंक आवंटित किया जाये। स्वयंपाठी विद्यार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आनुपातिक आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक आवंटित किये जाने का प्रस्ताव रखा

निर्णयः– सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान कर पारित किया।

5. अध्यक्ष की अनुमति से शोध उपाधि के संबंध में यूजीसी विनियम 2022 (पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) को इस विश्वविद्यालय द्वारा अपनाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः– विनियम 2022 (पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) को इस विश्वविद्यालय ने शोधकार्य में संलग्न शोधार्थियों के संबंध में अपनाने की सर्वसम्मति से अनुशंसा की जाती है।

6. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य डॉ. रणवीर सिंह ने विश्वविद्यालय की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षकों के पैनल बनाने हेतु पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के पश्चात् पंजीकृत शिक्षाविदों/विषय विशेषज्ञों के पैनल को संबंधित अध्ययन बोर्ड से अनुशंसा करवाकर उत्तर पुस्तिका परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। जिसे सदन से सर्वसम्मति से पारित किया।

कुलसचिव